

एवं अन्य संस्थानों, बैंकों, प्रतिष्ठानों निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चंदा, क्रेंच, एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना, तथा प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ चैरिटेबिल कार्यों की पूर्ति हेतु व्यय करना।

ल. कार्यकाल :- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

10. पदाधिकारीयों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. अध्यक्ष :-

- 1- संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना।
- 2- मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर व्याख्यात भत्ता होने की दशा में अपना निर्णायक भत्ता देना।
- 3- संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व संस्था वी आम देखभाल करना।

2. उपाध्यक्ष :-

- 1- अध्यक्ष की अनुपस्थित में उनके द्वारा लिखित रूप में सौंपे गये स्वीकृत कार्यों को करना। सामान्य व विषम परिस्थितियों में उनका सहयोग करना।

3. प्रबन्धक / सचिव :-

- 1- संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुंचाना, भीटिंग कार्यवाही लिखना।
- 2- संस्था के कार्यकारी लघुरेखा तैयार करना व कार्यकारी समिति व्यष्टि रूप से व्यक्तिगत कर संचालन व प्रचार प्रसार करना।
- 3- संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदातली कार्यवाही को प्रवीकरण करना एवं समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना।
- 4- संस्था की आम चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान अनुदान तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त सम्पत्ति व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना। प्राप्त आय को संस्था के कोष में जमा करना।
- 5- संस्था के अंतर्गत संचालित संस्थानों चिकित्सालयों, विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकारीओं की नियुक्ति, नियोन्नति एवं पदच्युत करना, उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तथा विवरण करना व उसका भुगतान करना।

4. उपप्रबन्धक / उपसचिव :-

- 1- प्रबन्धक / सचिव की अनुपस्थित में उनके द्वारा सौंपे गये कार्यों को करना, उपस्थित में कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

5. कोषाध्यक्ष:-

- 1- संस्था के आय-व्यय विवरण को रखना।
- 2- प्रबन्धक / सचिव द्वारा सौंपे गये कार्य करना।

11. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रक्रिया-

संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना।

ल.प्र.प्रतिष्ठिति
प्रबन्धक
दान, दान विवरण फॉर्म फॉर्म एवं लिखित
२०२३ द्वारा दिया गया दान, दान

संस्था का कोष व लेखा व्यवस्था:-

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत एवं अथवा डाकघर में संस्था के नाम से जमा किया जायेगा। जिसका संचालन प्रबन्धक / सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

13. संस्था का लेखा परीक्षण :-

संस्था का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य आडीटर अथवा घार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व:-

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के निश्चारण की कार्यवाही प्रबन्धक / सचिव अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

15. संस्था के अग्रिमताएँ :-

- | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 1- सदस्यता रजिस्टर | 2- कार्यवाही रजिस्टर | 3- कैशबुक, बुक, |
| 4- एजेंडा रजिस्टर | 5- स्टाक रजिस्टर आदि। | |

16. अन्य विशेष -

1- संस्था गरीब, विकलांग असहायों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। तथा संस्था अपने उद्देश्यों के विपरीत कार्य नहीं करेगी।

2- संस्था के उद्देश्य अपरिवर्तनीय है। संस्था के उद्देश्यों में शिक्षा के अतिरिक्त कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

3- संस्था सभी को बिना किसी नेदमाद के कार्य करेगी। संस्था द्वारा आमजन में कोई नेदमाद नहीं किया जायेगा।

संस्था के पास जो भी फण्ड, सम्पत्ति इत्यादि होगो उस संस्था के उद्देश्यों के विपरीत प्रयोग नहीं कर सकेगी। ऐसे फण्ड एवं सम्पत्ति जो संस्था के पास हैं इसका प्रयोग संस्था की नियमावली/उद्देश्यों में वर्णित उद्देश्यों को पूर्ण करने में ही करेगी।

17. संस्था का विघटन :-

यदि दुर्जायवश संस्था का विघटित होती है तो विघटित सम्पत्ति के निश्चारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा- 13 व 14 के अतंगत की जायेगी।

यदि भविष्य ने संस्था का विघटन होता हैं संस्था की समस्त दायित्वों को छुकाने के बाद जो भी सम्पत्ति, फण्ड, इत्यादि बचेगी वह किसी ऐसी संस्था को दिया जायेगा जो कि आमजन के उत्थान के लिये कार्य करती हो।

दिनांक :- 12/5/17

प्रिया

सत्यप्रतिलिपि

सत्यप्रतिलिपि

प्रिया

वार्षिक संगठन
माला, दा नियंत्रण पर्यावरण विभाग एवं विद्युत
विभाग, दिल्ली, दिल्ली

प्रिया
प्रिया

संशोधित नियमावली

- संस्था का नाम :- श्रीमती मुन्नी देवी शिक्षा समिति,
 2. संस्था का पता :- ग्राम पोस्ट बरौठ तहसील मॉट जिला मधुरा ।
 3. संस्था का कार्यक्षेत्र :- सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।
 4. संस्था के उद्देश्य :- संलग्न स्मृतिपत्र के अंकितानुसार ।
 5. सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :-

१. संरक्षक सदस्य :-

जो सज्जन इस संस्था को 1000/- रुपये मुश्त या इससे अधिक मूल्य कोई अचल या चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था के संरक्षक सदस्य बनाया जाएगा।

२. आजीवन सदस्य :-

जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 500 / रु० सदस्यता शुल्क के रूप में देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान रूपरूप देरीं वह इस संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा ।

३. साधारण सदस्य :-

जो संज्ञन इस संस्था को प्रति वर्ष 250 / रु० देगा वह संज्ञन इस संस्था का साधारण सदस्य बनाया जायेगा ।

4. विशिष्ट सदस्य :-

ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एवं संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हो व जो विद्वान होगे, सरकार हासा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों, जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी दो वर्ष के लिये संस्था का विशेष सदस्य मनोनित करेगी। ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होगे उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान, चंदा, संस्था को स्वीकार होगा। ऐसे सदस्यों को ब्रह्मवत् मुकुट-देने एवं भाग लेने का अधिकार न होगा। परन्तु प्रतिवर्ष यह है कि ऐसे सदस्यों के सज्जन अधिक होंगी।

६. सदस्यता की समाप्ति :-

- मृत्यु होने, पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।
 - सदस्यता शुल्क समय से अदान करने पर । सत्प्रगति लड़ते
 - संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना कारण के बताये अनुपस्थित होने पर ।
 - किसी सदस्य को विरुद्ध $\frac{2}{3}$ बहुमत से अविश्वास लोटस्टार्ट प्राप्ति होने पर ।
 - त्याग-पत्र दिये जाने पर व उसे आम सभा के द्वारा पास होने पर ।
 - न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ।
 - संस्था के अहित में कार्य करने पर ।

7. संख्या के अंग :- (अ) साधारण ज्ञान

(२) प्राचीनकालिक यात्रिति

८ साधारणा अभ्यास

गठन

साधारण सभा का गठन संसद्या के जमी सदस्यों को मिलाकर किया जाएगा।

卷之三

साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी।

संख्या प्रतिलिपि

1000 ft.

କାନ୍ତିଲୀଙ୍ଗ ଶିଖେତୁ କର୍ମ ଚାନ୍ଦାରୀର ଏହି ଲିଖନ